

ADM/AJA

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

विषय:- द्विवर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: SCERT/शि0शि0 सेवापूर्ण/5117/दो-1(29), दिनांक 27.09.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें द्विवर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2021-22 हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित कराये जाने हेतु समसामयिक शासनादेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभागीय प्रस्ताव के सम्यक् परीक्षणोपरान्त डी0एल0एड0 प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा आयोजित किये जाने हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-433/XXIV(1)/2019-02/2018, दिनांक 16.08.2019 एवं शासनादेश संख्या-1028/XXIV(1)/2019-02/2018, दिनांक 21.10.2019, शासनादेश संख्या-1389/XXIV-A-1/2020/02/2018, दिनांक 11.01.2021, शासनादेश संख्या-173/XXIV-A-1/2021/02/2018, दिनांक 24.01.2022 एवं शासनादेश संख्या-25034/2022 दिनांक 25.03.2022 में उल्लिखित प्राविधानों में कतिपय संशोधन करते हुए, राज्य में संचालित 13 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में 50 प्रति डायट के अनुसार 650 प्रशिक्षणार्थियों को द्विवर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2021-22 हेतु प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम को निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के अधीन प्रारम्भ किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. द्विवर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण में चयन हेतु प्रवेश परीक्षा एवं अन्य गतिविधियों हेतु नियन्त्रक प्राधिकारी: द्विवर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित किए जाने, परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को जनपद आवंटन करने व राज्य के समस्त जनपदों के जिला-शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में संचालित द्विवर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण के पर्यवेक्षण हेतु निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड नियन्त्रक प्राधिकारी होंगे।

2. द्विवर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण में चयन हेतु प्रवेश परीक्षा की पात्रता-

(क) कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या: 59/XXX-2/19/01(17)/2012 दिनांक 07 फरवरी, 2019 एवं अधिसूचना संख्या-164/XXX-2/19-01(17)/2012, दिनांक 28.06.2019 द्वारा संशोधित उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता (संशोधन) नियमावली, 2019 के द्वारा संशोधित नियम-4 उपनियम (2) "उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के सीधी भर्ती

के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए, वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो, परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/ अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवायें उत्तराखण्ड से बाहर स्थानान्तरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री, राज्याधीन सेवाओं में समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे।

परन्तु यह और कि राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका/अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी, समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।" के अनुसार अभ्यर्थी द्विवर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।"

(ख) अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी जनपद में स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से द्विवर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन किया जा सकेगा। अभ्यर्थी से प्रवेश परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा शहरों के विकल्प भरवाये जायेंगे। अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा केन्द्रों के आवंटन हेतु उसके विकल्पों के आधार पर वरीयता दी जायेगी। अभ्यर्थी को आवेदन करते समय राज्य के समस्त 13 (तेरह) जनपदों को प्रशिक्षण हेतु प्राथमिकता के आधार पर वरीयता दी जानी होगी, किन्तु आवेदन पत्र में प्रथम वरीयता अपने गृह जनपद को ही दी जानी होगी।

(ग) अभ्यर्थी द्वारा द्विवर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से पूर्व भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान अथवा विज्ञानेत्तर विषयों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गई हो।

(घ) द्विवर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु जनपदवार आवंटित सीटों के प्रति 50 प्रतिशत विज्ञान वर्ग तथा 50 प्रतिशत विज्ञानेत्तर वर्ग के अभ्यर्थियों को चयनित किया जाएगा।

(1) बी0एससी0 योग्यताधारी अभ्यर्थी एवं इण्टर में विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण बी0टेक0/बी0फार्मा0/बी0बी0ए0/बी0सी0ए0 स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थी विज्ञान वर्ग हेतु आवेदन कर सकेंगे। कृषि वर्ग के स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थी भी विज्ञान वर्ग में आवेदन कर सकेंगे।

(2) बी0ए0 योग्यताधारी अभ्यर्थी एवं इण्टर में मानविकी वर्ग से उत्तीर्ण बी0बी0ए0/बी0सी0ए0 स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थी विज्ञानेत्तर वर्ग में आवेदन कर सकेंगे। वाणिज्य वर्ग के स्नातक अभ्यर्थी भी विज्ञानेत्तर वर्ग में आवेदन कर सकेंगे।

(ड.) कार्मिक विभाग द्वारा सेवायोजन में विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किये जाने हेतु जारी शासनादेशानुसार ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज (Vertical & Horizontal) आरक्षण अनुमन्य किया जाएगा। शासनादेश

संख्या-1028/XXIV(1)/2019/02/2018, दिनांक 21.10.2019 एवं शासनादेश संख्या-1389/XXIV-A-1/2020/02/2018, दिनांक 11.01.2021 के विन्दु संख्या-2-2(ग) के अनुपालन में "श्रेणी, वर्ग एवं उप वर्गवार सीटों का वर्गीकरण करते हुए, सम संख्या आने पर उसे बराबर विषयों में विभाजित कर दिया जायेगा एवं विषम संख्या आने पर उसकी पूर्ति चक्रानुक्रम से श्रेणी के अनुसार आगामी प्रवेश परीक्षा में पूर्ति कर दी जायेगी। इसी प्रकार उर्ध्वाधर (Vertical) आरक्षण की भांति ही क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण में भी सीटों का निर्धारण किया जायेगा।" - (च) अभ्यर्थी की आयु प्रशिक्षण प्रारम्भ होने वाले वर्ष की प्रथम जुलाई को 19 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को कार्मिक विभाग के शासनादेशों के अनुरूप अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जायेगी। न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट देय नहीं होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु सीमा में छूट केवल स्वयं के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुरूप नियमानुसार देय होगी।

(छ) द्विवर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण स्ववित्त पोषित रूप से संचालित किया जायेगा। द्विवर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से प्रतिवर्ष रू0 35000/- (पैंतीस हजार मात्र) प्रशिक्षण शुल्क लिया जायेगा एवं प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से प्रति सेमेस्टर रू0 850/- (आठ सौ पचास) परीक्षा शुल्क लिया जायेगा। प्राप्त शुल्क निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण के निर्वर्तन पर रखा जायेगा।

(ज) द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रशिक्षणोपरान्त राजकीय सेवा में सेवायोजित किये जाने की कोई बाध्यता नहीं होगी किन्तु तत्समय प्रचलित सेवा नियमावली में विहित न्यूनतम प्रशिक्षण/अन्य निर्धारित योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थियों को ही नियमानुसार सेवा में लिया जायेगा।

3. चयन का आधार :-

द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन, प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों की मैरिट के आधार पर किया जायेगा। चयन सूची प्रवेश परीक्षा की श्रेष्ठता के अवरोही क्रमानुसार तैयार की जायेगी।

4. लिखित परीक्षा :-

लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी। परीक्षा की अवधि 02 घण्टे 30 मिनट होगी, जिसमें 200 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न के 04 विकल्प दिये जायेंगे, जिनमें एक विकल्प सही होगा। प्रश्न मुख्यतः सामान्य ज्ञान/बोध, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति, संख्यात्मक योग्यता एवं शिक्षण अभिरुचि विषयों पर आधारित होंगे, जिनका ज्ञान एक सामान्य स्नातक से अपेक्षित है। उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन ओ0एम0आर0 शीट आधारित होगा। अभ्यर्थी द्वारा ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र में प्रस्तुत किये गये विवरण के आधार पर उसे परीक्षा में सम्मिलित कराया जायेगा, तत्पश्चात् सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच कर अन्तिम चयन की कार्यवाही की जायेगी।

5. परीक्षा संस्था :-

द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद के अन्तर्गत गठित विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ के माध्यम से किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था ही विज्ञापित सीटों के सापेक्ष, श्रेणीवार, वर्गवार तथा आरक्षणानुसार पृथक-पृथक सूची तैयार कर अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड, देहरादून को उपलब्ध कराने हेतु निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित करेगा। अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड द्वारा प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को उनके प्राप्तांकों के वरीयता क्रमानुसार जनपद आवंटन करने के उपरान्त चयनित अभ्यर्थियों की सूची सम्बन्धित जनपदों के प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध करवायी जाएगी।

6. प्रवेश हेतु चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची तैयार किया जाना :-

(क) अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर राज्य स्तर पर एवं आरक्षित श्रेणीवार निर्धारित प्रतिशत के अन्तर्गत उनकी पृथक-पृथक योग्यता सूची तैयार की जायेगी। अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के अवरोही क्रम में योग्यता सूची तैयार की जायेगी।

योग्यता सूची के आधार पर काउंसिलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया सम्पादन के उपरान्त वास्तविक रूप से रिक्त रही सीटों की संख्या के सापेक्ष विज्ञान/विज्ञानेत्तर वर्ग में उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षणवार प्रतीक्षा सूची भी निर्गत की जायेगी। जिस वर्ग/श्रेणी का अभ्यर्थी प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होता है, तो उसी वर्ग/श्रेणी के अभ्यर्थी को आमंत्रित किया जायेगा।

योग्यता सूची के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को डी.एल.एड. प्रशिक्षण हेतु जनपद का आवंटन उनकी काउंसिलिंग के आधार पर किया जायेगा। जनपद आवंटन में अभ्यर्थी के गृह जनपद को प्रथम वरीयता प्रदान की जायेगी, किन्तु किसी अभ्यर्थी को योग्यता सूची के अनुसार उसका गृह जनपद प्राप्त नहीं होता है तो उसे किसी अन्य जनपद का विकल्प देने की अनुमति प्रदान की जायेगी। काउंसिलिंग के समय चयनित अभ्यर्थियों से डी.एल.एड. प्रशिक्षण हेतु उक्तानुसार विकल्प भरवाकर जिले आवंटित किये जायेंगे।

(ख) चयनित अभ्यर्थियों की सूची को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को भेजने का उत्तरदायित्व एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड का होगा।

7. राज्य स्तर डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा एवं प्रवेश हेतु समिति का गठन :-

द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित मामलों पर पात्र अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का परीक्षण एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित समिति गठित की जायेगी-

1. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण :- अध्यक्ष/परीक्षा नियन्त्रक प्राधिकारी
2. अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. :- सदस्य सचिव
3. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, :- सदस्य

- रामनगर द्वारा नामित अपर सचिव स्तर का एक अधिकारी
4. निदेशक, अकादमिक शोध एवं :- सदस्य प्रशिक्षण द्वारा नामित एक श्रेणी-2 का अधिकारी (अनु0जा0/अनु0ज0जा0/अ0पि0व0 सं सम्वन्धित)
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा नामित :- सदस्य संयुक्त/उप निदेशक स्तर का सेवा-2 पटल का अधिकारी

8. द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण एवं सेमेस्टर मूल्यांकन :-

सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण हेतु अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों का सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक कार्यों का सेमेस्टर मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा सम्पादित कराया जायेगा। प्रति सेमेस्टर की परीक्षा से पूर्व आंतरिक आंकलन के अंक कम से कम 15 दिन पहले बोर्ड को उपलब्ध कराने का दायित्व प्राचार्य सम्बन्धित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का होगा। उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल द्वारा परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र सम्बन्धित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से उपलब्ध कराये जायेंगे।

9. द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा शुल्क-

द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण हेतु आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन पत्र के शुल्क की दरें निम्नवत् निर्धारित होगी :-

1. सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए :- ₹ 600/-
2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए :- ₹ 300/-
3. सभी वर्गों के निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए :- ₹ 150/-

10. अन्य नियम :-

क- द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण हेतु प्रविष्ट अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कराया जायेगा। प्रमाण पत्र फर्जी/कूटरचित पाये जाने पर प्रवेश निरस्त करने के साथ ही कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी। इस आशय का शपथ पत्र भी अभ्यर्थी को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश के समय जमा कराना होगा।

ख- द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिवर्ष 50 अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

ग- वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत विशेष परिस्थितियों में डी.एल.एड. प्रशिक्षण हेतु वयनित प्रशिक्षुओं का कक्षा-कक्षा शिक्षण ऑनलाइन संचालित किया जा सकता है।

11. द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा हेतु समय सारणी :-

प्रत्येक वर्ष द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा एवं प्रवेश की प्रक्रिया का आयोजन अधिकृत संस्थान द्वारा निम्न कार्यक्रमानुसार सम्पादित की जायेगी :-

क्र.सं.	गतिविधि	प्रस्तावित समय
1.	द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा के लिए ऑन लाइन आवेदन पत्र एवं सूचना विवरणिका तैयार करना।	माह जनवरी-फरवरी 2023
2.	विज्ञप्ति जारी करने की तिथि (ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया)	माह मार्च 2023
3.	आवेदकों का डाटा तैयार करना, परीक्षा केन्द्र, प्रवेश पत्र निर्माण एवं अभ्यर्थियों को प्रेषण की तिथि, परीक्षा केन्द्रों को परीक्षा सामग्री आदि का प्रेषण	माह अप्रैल -मई 2023
4.	परीक्षा की तिथि	माह मई का तृतीय-शनिवार
5.	परीक्षाफल निर्माण एवं घोषणा	माह जून-जुलाई 2023
6.	सफल अभ्यर्थियों को जनपद आवंटन हेतु काउंसिलिंग की अवधि	माह अगस्त- अक्टूबर 2023
7.	प्रतीक्षा सूची जारी करना	माह नवम्बर-दिसम्बर 2023
8.	सत्र प्रारंभ	माह जनवरी 2024

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath

Date: 06-10-2022 18:35:58

(रविनाथ रामन)

सचिव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. - समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. - महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, (देहरादून)।
3. - सभापति (उ0वि0शि0प0)/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड (देहरादून)।
4. - निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड (देहरादून)।
5. - सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
6. - गार्ड फाईल।

Signed by Pradeep Joshi

Date: 07-10-2022 09:24:42

(प्रदीप जोशी)

संयुक्त सचिव

कार्यालय जिलाधिकारी - चमोली,
 तारिका - 27 /XXVH - AJA (2021-22) दिनांक 10/10/2022
 प्रतिलिपि - मुख्य शिक्षा अधिकारी, चमोली रूपमा
 उम्दा (कार्यालय) के लिए का कपट करे,

प्रमारी अधिकारी
 कृष्ण शिवाजी अधिकारी चमोली